# MECHANICAL DEPARTMENT OF JODHPUR DIVISION

**Particulars of organization, functions and duties:**

At divisional level Sr. Divisional Mechanical Engineer (C&W), is the over all in-charge of mechanical C&W department. All activities pertaining to mechanical C&W department in the division is coordinated by Sr. Divisional Mechanical Engineer, who is assisted by ADME(C&W) and Supervisors of C&W for C&W related activities and Supervisors of C&W wing assists and C&W control is available for assisting the maintenance & operation control in smooth and safe operation of trains. The technicians and helpers under C&W supervisors are responsible for maintenance of rolling stocks, maintenance and operation of break down equipments etc.

**Functions of mechanical (C&W) department:**

**i)** Maintenance of passenger carrying coaches & wagons
**ii)** Maintenance and Operation of Break Down equipments, restoration, relief and rescue work in case of railway accident.
**iii)** Maintaining cleanliness in passenger carrying coaches, watering etc. en-route for better passenger satisfaction.
**iv)** Maintenance of weigh bridges at JSM, NAC, THM and MTD.
**v)** 12 Pair running of rail buses between MTD-MEC.

**Powers and duties of officers and supervisors:**

| S No | Designation | Duties |
|---|---|---|
| **1** | Sr. DME (C&W) | Overall in-charge of mechanical department C&W wing at divisional level. Overall management and co-ordination of all activities pertaining to mechanical department, decision making, dealing of D&A cases, exercising of financial powers for procurement of vital items, engaging contractors for works and annual maintenance contracts operated under mechanical department, coordination with HQ and other department in the division. |
| **2** | ADME (C&W) | Management of C&W activities at field units other than Jodhpur, co-ordination with Divisional head quarter for smooth functioning of field units, dealing of D&A cases, Exercising financial power for procurement of items required for day to day activities, test checking of contractual works, monitoring installation, maintenance smooth functioning of vital assets and equipments under Mech. Department. |
| **3** | CDO JU | Management of C&W activities at Jodhpur Depot, co-ordination with Divisional head quarter for smooth functioning the Depot, dealing of D&A cases, Exercising financial power for procurement of items required for day to day activities, test checking of contractual works, monitoring installation, maintenance smooth |

| | | |
|---|---|---|
| | | functioning of vital assets and equipments. |

**Procedure followed in decision making process including channel of supervision:**

The activities at the field unit level are supervised by the respective supervisors in different grades. In C&W wing, there are 4 level of supervision viz. Junior Engineer-II, Junior Engineer-I, Section Engineer and Sr. Section Engineer who manages the depot activities and take minor decisions for day to day disposal of works.

The extraordinary cases where decisions at these levels are not possible, the issue is referred to the higher authorities i.e Asst. Divl. Mechanical Engineer or Sr. Divl. Mechanical Engineer (C&W). Major decisions like policy decisions, staff welfare, creation of posts, additional assets, creation of facilities etc. are taken by the branch officer i.e Sr. Divl. Mechanical Engineer (C&W). The decision which are beyond the competency of the Sr. Divl. Mechanical Engineer (C&W) is referred to Addl. Divl. Railway Manager or Divl. Railway Manager or the case is sent to zonal HQ for further disposal at higher level.

**Norms set by it for the discharge of its functions:**

Different targets are being set by the zonal office for each division to follow during a particular financial year. The divisional unit and the field units are acting as per the target set by the zonal HQ. At Rly. Board level, some mission items are set which are being followed by the different divisional unit and field units under the supervision and guidance of zonal HQ. For freight maintenance, there are certain targets for no. of en route wagons detached , no. of train parting cases, no. of poor brake power etc., for coaching services, the targets are for no. of coach detached en-route, no. of coaches attended for schedule maintenance in the primary depot, no. of punctuality loss cases due to improper maintenance, of punctuality loss cases due to improper maintenance in the base shed etc. Besides, there are targets for safety performance like no. of inspections at different levels done, no. of safety drives at different level undertaken, no. of accident/derailment cases on C&W account. There are also targets for disposal of scrap for both ferrous and non-ferrous metals.

# यांत्रिक विभाग- जोधपुर मंडल

## संगठन, कार्य एवं ड्यूटियों का विवरण :

मंडल स्तर पर वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (स.व मा.) यांत्रिक (स.व मा.) विभाग के प्रभारी है। मंडल पर यांत्रिक इंजीनियर (स.व मा.) विभाग से संबंधित सभी गतिविधियों को वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर के सहयोग से पूर्ण किया जाता है इनकी सहायता के लिए सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर (स.व मा.) तथा (स.व मा.) गतिविधियों के लिए पर्यवेक्षक (स.व मा.) होते है। पर्यवेक्षक (स.व मा.) विंग तथा (स.व मा.) नियंत्रक गाडियों अनुरक्षण एवं सहज व सुरक्षित संचालन के लिए सहायता करते है। पर्यवेक्षक (स.व मा.) के अधीन कार्यरत तकनीशियन तथा हैल्पर रेलिंग स्टाक के अनुरक्षण तथा ब्रेक डाउन उपकरणों के संचालन के लिए जिम्मेदार होते है।

## यांत्रिक (स.व मा.) विभाग के कार्य :

I. सवारी गाडियों के कोच तथा वैगनों का अनुरक्षण ।
II. ब्रेक डाउन उपकरणों के संचालन तथा अनुरक्षण रेल दुर्घटना के मामले में पूर्वावस्था में लाने, राहत एवं बचाव कार्य ।
III. सवारी गाडियों के कोचों में साफ- सफाई बनाए रखना तथा यात्रियों की बेहतर संतुष्टि के लिए बीच मार्ग में पानी आदि की सुविधा उपलब्ध कराना।
IV. जैसलमेर, नावां सिटी, थैयात हमीरा तथा मेडता रोड स्टेशनों पर वे- ब्रिज का रख- रखाव ।
V. मेडता रोड- से मेडता सिटी के बीच 12 फेरे रेल बसों का संचालन।

## अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :

| क्र.सं. | पदनाम | ड्यूटी |
|---|---|---|
| 1. | **वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (स.व मा.)** | मंडल स्तर पर यांत्रिक विभाग (स.व मा.) विंग के प्रभारी है। यांत्रिक विभाग से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन एवं समन्वय, निर्णय लेने, अनुशासन एवं अपील मामले, महत्वपूर्ण मदों की व्यवस्था के वित्तिय शक्तियों का प्रयोग, कार्य के लिए टेकेदारों की व्यवस्था तथा यांत्रिक विभाग के अधीन संचालित वार्षिक अनुरक्षण ठेके, मुख्यालय एवं मंडल के अन्य विभागों के साथ समन्वय। |
| 2. | **सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर (स.व मा.)** | जोधपुर के अलावा फिल्ड यूनिटों में स.व मा. गतिविधियों का प्रबंधन, फील्ड यूनिट के सुचारू संचालन के लिए मंडल मुख्यालय के साथ समन्वय, अनुशासन एवं अपील मामले, दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक मदों की व्यवस्था हेतु, ठेके पर दिए गए कार्यों की जाँच, यांत्रिक विभाग के अधीन स्थापित उपकरणों, बडी संपत्तियों के सुचारू संचालन की निगरानी । |
| 3. | **सी.डी.ओ. जोधपुर** | जोधपुर डिपो पर स.व मा. गतिविधियों का प्रबंधन, डिपो के सुचारू मंडल मुख्यालय के साथ समन्वय, अनुशासन एवं अपील मामले, दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक मदों की व्यवस्था हेतु, ठेके पर दिए गए कार्यों की जाँच, यांत्रिक विभाग के अधीन स्थापित उपकरणों, बडी संपत्तियों के सुचारू संचालन की निगरानी । |

**पर्यवेक्षण प्रणाली सहित निर्णय लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:-**

**फील्ड यूनिट की गतिविधियों का पर्यवेक्षण विभिन्न ग्रेड के संबंधित पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाता है।**

स.व मा. विंग में पर्यवेक्षण चार स्तरों पर किया जाता है। जैसे, कनि. इंजीनियर- II, कनि. इंजीनियर- I, सेक्शन इंजीनियर तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो दैनिक कार्यों के निपटान के लिए छोटे स्तर के निर्णय लेकर डिपो की गतिविधियों का प्रबंधन करते है। असाधारण मामलों में जहाँ इस स्तर पर निर्णय लेना संभव नहीं हो तो मामले को उच्चाधिकारियों जैसे सहा. मंडल यांत्रिक इंजीनियर या वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर स.व मा. को भेजा जाता है। उच्च स्तर के मामले जैसे नीतिगत मामले, कर्मचारी कल्याण, पदों का सृजन, अतिरिक्त संपत्ति, सुविधाओं का सृजन इत्यादि के निर्णय शाखा अधिकारी अर्थात वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर स.व मा. के द्वारा लिए जाते है। ऐसे निर्णय जो वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर स.व मा. की सक्षमता से बाहर के हों उन्हें उच्च स्तर पर निपटान हेतु अपर मंडल रेल प्रबंधक या मंडल रेल प्रबंधक या क्षेत्रीय मुख्यालय को भेजे जाते है।

**कार्यों के संपादन हेतु निर्धारित मानदंड :-**

किसी विशेष वित्तिय वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रत्येक मंडल के लिए विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए जाते है। क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मंडल इकाइ तथा फील्ड इकाईयाँ कार्य करती है। रेलवे बोर्ड स्तर पर कुछ विशेष लक्ष्य निर्धारित किए जाते है जिनका क्षेत्रीय मुख्यालय के दिशा निर्देशों के अधीन विभिन्न मंडल इकाई तथा फील्ड इकाईयों द्वारा पालन किया जाता है। मालभाडा अनुरक्षण के लिए बीच मार्ग में हटाए जाने वाले बैगनों की संख्या, गाडी विभाजन के मामलों की संख्या, कमजोर ब्रेक पावर की संख्या इत्यादि के लिए कुछ निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए गए है। कोचिंग सेवाओं के लिए बीच मार्ग में हटाए जाने वाले कोचों की संख्या, प्राइमरी डिपों में अनुसूचित अनुरक्षण किए गए कोचों की संख्या, अनुचित अनुरक्षण के कारण समयपालन में आई कमियों के मामलों की संख्या, बेस शेड में अनुचित अनुरक्षण के कारण समयपालन में आई कमियों के मामलों की संख्या इत्यादि के लिए कुछ निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए गए है। इसके अलावा संरक्षा निष्पादन के लिए भी कुछ निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए गए है जैसे विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले निरीक्षणों की संख्या, विभिन्न स्तरों पर चलाए गए संरक्षा अभियानों की संख्या, स.व मा. लेखे पर हुए दुर्घटना एवं पटरी से उतरने के मामलों की संख्या, लोह – व अलोह धातुओं के कबाड के निपटान के लिए भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए है।